वाराणसी विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित दिनांक 06.11.2024 को वाराणसी शहर में प्रकाशित न्यूज पेपर",अमर उजाला, हिन्दुस्तान,परफेक्ट मिशन,न्याधीश,ज्ञानशिखा टाइम्स,राष्टीय सहारा," समाचार पत्र कटिंग का विवरण।

हिन्दुस्तान –दि0 06.11.2024

अवैध प्लॉटिंग कराई ध्वस्त

वाराणसी। वीडीए प्रशासन ने मंगलवार को 30 बीघा में अवैध प्लाटिंग के ध्वस्तीकरण की कार्यवाई की। शिवपुर वार्ड के अहरक में 20 और 10 बीघा में अवैध प्लॉटिंग की जा रही थी। पुलिस की सहायता से वीडीए ने उसे ध्वस्त करा दिया। इस दौरान जोनल अधिकारी सिंह गौरव जयप्रकाश, जेई अतुल मिश्रा थे। वहीं नगवा वार्ड में रवींद्रपुरी में अस्सी नाले के पास बिना नक्शा पास कराये अवैध निर्माण के खिलाफ कार्यवाई की गई। इस दौरान जोनल अधिकारी प्रमोद तिवारी, जेई राकेश सिंह रहे।

अमर उजाला –दि0 06.11.2024

दो अवैध निर्माण सील कराए

वाराणसी। वीडीए ने मंगलवार को 30 बीघे की अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त कराई। साथ ही दो अवैध निर्माण सील कर पुलिस अभिरक्षा में दिए। वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने बताया कि शिवपुर वार्ड के अहरक में अज्ञात की 20 बीघे में और इस्तियाक की 10 बीघे में विकसित हो रही अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त कराई। उधर भेलूपुर वार्ड में उषा देवी के रवींद्रपुरी अस्सी नाले और फिदका रेस्त्रां रवींद्रपुरी में राजीव अग्रवाल के बगैर मानचित्र स्वीकृत कराए निर्माण कार्य को सील कर पुलिस अभिरक्षा में दे दिया। संवाद

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

ज्ञानशिखा टाइम्स –दि0 06.11.2024

वाराणसी विकास प्राधिकरण, की प्रवर्तन टीम द्वारा कुल 30 बीघा में अवैध प्लाटिंग के विरूद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही

वाराणसी। वार्ड-शिवपुर, मौजा-अहरक के अन्तर्गत अज्ञात प्लाटिंगकर्ता द्वारा लगभग 20 बीघा में तथा इस्तियाक द्वारा लगभग 10 बीघा में इस प्रकार कुल 30 बीघा में अवैध प्लाटिंग विकसित की जा रही थी। उपरोक्त स्थल पर किये गये अवैध प्लॉटिंग को आज दिनांक 05/11/2024 को प्रवर्तन

टीम एवं पुलिस बल के सहयोग से ध्वस्त किया गया। मौके पर जोनल अधिकारी सिंह गौरव जयप्रकाश, अवर अभियन्ता अतुल मिश्रा, प्रवर्तन दल सहित समस्त सुपरवाइजर व पुलिस बल उपस्थित रहे।उपाध्यक्ष महोदय द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से ले-आउट स्वीकृत प्लॉट ही खरीदें तथा मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।

न्यायाधीश –दि0 06.11.2024

अवैध निर्माण के विरूद्ध सील की कार्यवाही

वाराणसी।उपाध्यक्ष वाविप्रा द्वारा प्रदत्त निर्देश के क्रम में वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी जोन-4 की प्रवर्तन टीम द्वारा अवैध निर्माण के विरुद्ध सील की कार्यवाही सम्पादित की गयी 05.नवम्बर को वार्ड-भेलूपुर के अन्तर्गत उषा देवी पतनी शिव प्रसाद मौर्य द्वारा रवींद्र पुरी अस्सी नाले के पास तथा फिदका रेस्टोरेंट रविंद्रपुरी के ठीक बगल में राजीव अग्रवाल द्वारा बिना मानचित्र स्वीकृत कराये हो रहे अनाधिकृत निर्माण के विरूध 30प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की सुसंगत धारा-27, 28 (i) व 28 (ii) के अन्तर्गत नोटिस की कार्यवाही की गयी थी, परन्तु निर्माणकर्ता द्वारा लगातार कार्य किये जाने पर उक्त अनाधिकृत निर्माण को सील कर थाना भेलूपुर की सतत निगरानी हेतु सौप दिया गया।इस दौरान जोनल अधिकारी प्रमोद तिवारी अवर अभियंता राकेश कुमार सिंह, मौजूद रहे।वाविप्रा उपाध्यक्ष द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।

न्यायाधीश –दि0 06.11.2024

वाविप्रा द्वारा की गई 30 बीघा में अवैध प्लाटिंग के विरूद्ध ध्वस्तीकरण कार्यवाही

वाराणसी। वाविप्रा उपाध्यक्ष द्वारा प्रदत्त निर्देश के क्रम में 05 नवम्बर को वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी जोन-1 की प्रवर्तन टीम द्वारा कुल 30 बीघा में अवैध प्लाटिंग के विरूद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही सम्पादित की गयी।इसके तहत वार्ड-शिवपुर, मौजा-अहरक के अन्तर्गत अज्ञात प्लाटिंगकर्ता द्वारा लगभग 20 बीघा में तथा इस्तियाक द्वारा लगभग 10 बीघा में इस प्रकार कुल 30 बीघा में अवैध प्लाटिंग विकसित की जा रही थी। उपरोक्त स्थल पर किये गये अवैध प्लॉटिंग को 05 नवम्बर को प्रवर्तन टीम एवं पुलिस बल के सहयोग से ध्वस्त किया गया।मौके पर जोनल अधिकारी सिंह गौरव जयप्रकाश, अवर अभियन्ता अतुल मिश्रा, प्रवर्तन दल सहित समस्त सुपरवाइजर व पुलिस बल उपस्थित रहे।उपाध्यक्ष द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से ले-आउट स्वीकृत प्लॉट ही खरीदें तथा मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

परफेक्ट मिशन –दि0 06.11.2024

वीडीए प्रवर्तन टीम ने भेलुपुर में दो अवैध निर्माण को किया सील

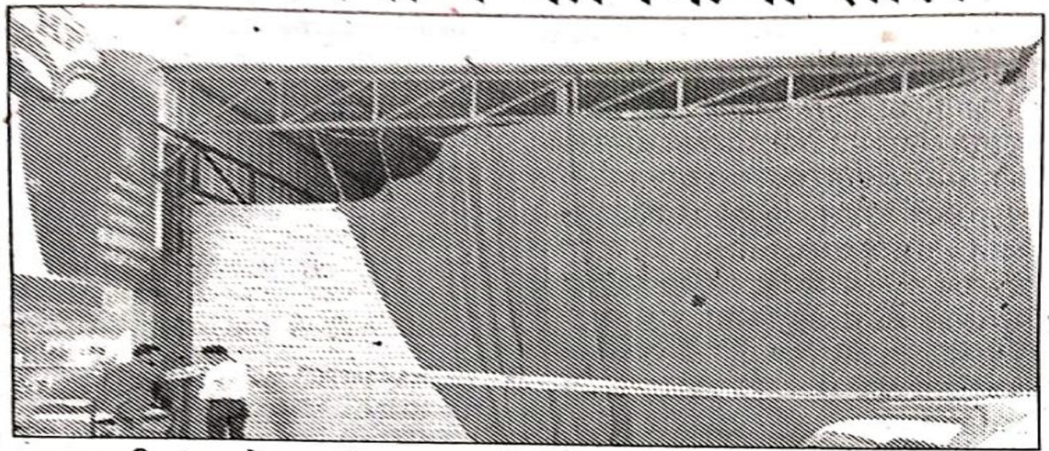

वाराणसी (परफेक्ट मिशन)। वीडीए उपाध्यक्ष के निर्देश के क्रम में वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी जोन–4 की प्रवर्तन टीम द्वारा अवैध निर्माण के विरूद्ध सील की कार्यवाही सम्पादित की गयी। जिसमें मंगलवार को वार्ड–भेलूपुर के अन्तर्गत उषा देवी पत्नी शिव प्रसाद मौर्य द्वारा रवींद्र पुरी अस्सी नाले के पास तथा फिदका रेस्टोरेंट रविंद्रपुरी के ठीक बगल में राजीव अग्रवाल द्वारा बिना मानचित्र स्वीकृत कराये हो रहे अनाधिकृत निर्माण के विरूध उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम–1973 की सुसंगत धारा–27, 28 (i) व 28 (ii) के अन्तर्गत नोटिस की कार्यवाही की गयी थी, परन्तु निर्माणकर्ता द्वारा लगातार कार्य किये जाने पर उक्त अनाधिकृत निर्माण को सील कर थाना भेलूपुर की सतत निगरानी हेतु सौप दिया गया। जोनल अधिकारी प्रमोद तिवारी अवर अभियंता राकेश कुमार सिंह मौजूद रहे। उपाध्यक्ष द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

परफेक्ट मिशन –दि0 06.11.2024

वीडीए प्रवर्तन टीम ने अहरक में 30 बीघे में हो रहे अवैध प्लाटिंग का किया ध्वस्तीकरण

वाराणसी (परफेक्ट मिशन)। वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के निर्देशानुसार जनपद में हो रहे अवैध निर्माण व प्लाटिंग के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में मंगलवार को वीडीए जोन 01की प्रवर्तन टीम ने वार्ड–शिवपुर मौजा अहरक के अंतर्गत अज्ञात प्लाटिंगकर्ता द्वारा लगभग 20 बीघा में तथा इश्तियाक द्वारा लगभग 10 बीघा में इस प्रकार कुल 30 बीघा में अवैध प्लाटिंग विकसित किया जा रहा था। उपरोक्त स्थल पर किए गए अवैध प्लाटिंग को मंगलवार को जोन–01की प्रवर्तन टीम एवं क्षेत्रीय पुलिस बल के सहयोग से ध्वस्तीकरण किया गया। इस कार्यवाही में मौके पर जोनल अधिकारी सिंह गौरव जयप्रकाश, अवर अभियंता अतुल मिश्रा, वीडीए प्रवर्तन दल के सुपरवाइजर ,कर्मचारी व क्षेत्रीय पुलिस बल के लोग उपस्थित रहे।

राष्ट्रीय सहारा –दि0 06.11.2024

अवैध प्लाटिंग पर चला वीडीए का बुलडोजर

वाराणसी। वाराणसी विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष द्वारा प्रदत्त निर्देशक्रम में मंगलवार को वीडीए जोन-1 की प्रवर्तन टीम द्वारा कुल 30 बीघा में अवैध प्लाटिंग के विरूद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही सम्पादित की गयी। वार्ड-शिवपुर, मौजा-अहरक के अन्तर्गत अज्ञात प्लाटिंगकर्ता द्वारा लगभग 20 बीघा में तथा इस्तियाक द्वारा लगभग 10 बीघा में कुल 30 बीघा में अवैध प्लाटिंग विकसित की जा रही थी। उपरोक्त स्थल पर किये गये अवैध प्लॉटिंग को मंगलवार को प्रवर्तन टीम एवं पुलिस बल के सहयोग से ध्वस्त किया गया। मौके पर जोनल अधिकारी सिंह गौरव जयप्रकाश, अवर अभियन्ता अतुल मिश्रा, प्रवर्तन दल सहित समस्त सुपरवाइजर व पुलिस बल उपस्थित थे। इस अवसर पर वीडीए उपाध्यक्ष ने आम जनमानस से अपील किया कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से ले-आउट स्वीकृत प्लॉट ही खरीदें तथा मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा प्राधिकरण सख्त कार्यवाही करेगा।